IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–12

ऑफिस काम्पलेक्स–द्वितीय तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ।

e-mail - cd12lko@upavp.com

IS 15700 SQMS

पत्र सं0– 509 /PMAY /TC-6(3) /43 दिनांक– 18/2/19

सेवा में, **स्मरण–पत्र**

जिलाधिकारी
लखनऊ।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत ग्राम–मिरानपुर पिनवट तहसील–सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ के खसरा संख्या–339 की भूमि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नाम स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– 1. इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक–140/PMAY /TC-6(3) दिनांक 14.01.2019
2. इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक–436/PMAY /TC-6(3)/41 दिनांक 12.02.2019

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषय में अनुरोध करना है कि जिला प्रशासन द्वारा खसरा संख्या–339, ग्राम–मिरानपुर पिनवट तहसील–सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ की 2.225 हेक्टेयर भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भवनों के निर्माण हेतु चिन्हित की गयी है। सम्बन्धित राजस्व कर्मचारियों द्वारा कराये गये चिन्हाकन के उपरान्त 752 नग भवनों का ले–आउट तैयार कराया गया था। उक्त परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है, परन्तु उक्त भूमि का स्थानान्तरण उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नाम नहीं हुआ है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे विन्रम अनुरोध करना है कि भूमि के नामान्तरण/हस्तान्तरण की कार्यवाही हेतु वांछित कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र कराने का कष्ट करें, ताकि भवनों के निर्माण की कार्यवाही प्रराम्भ की जा सके।

यह भी अवगत कराना है, कि प्रश्नगत परियोजना का पंजीकरण रेरा में कराना है। रेरा में पंजीकरण के लिए भूमि का क्लीयर टाइटिल विभाग के नाम होना आवश्यक है। दिनांक 16.02.2019 को सचिव, रेरा के कक्ष में पंजीकरण के सम्बन्ध में बैठक थी उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि बिना भूमि के टाईटिल के रेरा में पंजीरकरण किया जाना सम्भव नहीं होगा। प्रकरण की गम्भीरता एवं महत्ता के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही यथा शीघ्र कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इं0 एच. एस. शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0 सं0 509 / उक्त /43 दिनॉक – 18/2/19

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी जिलाधिकारी, लखनऊ को पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकरी, वित्त एवं राजस्व, लखनऊ को दिनांक 31.01.2019, दिनांक 12.02.2019 एवं दिनांक 15.02.2019 को व्यक्तिगत वार्ता में किये गये अनुरोध के कम में पुनः अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता एवं महत्ता के दृष्टिगत भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही यथा शीघ्र कराने का कष्ट करें।
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स–पंचम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता

EE/L

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
पीएमएवाई–प्रकोष्ठ
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
ई–मेल आईडी: pmay@upavp.com; दूरभाष: 0522–2235904, 7705003191

पत्रांकः– 718 /पीएमएवाई–प्रकोष्ठ 2019/ दिनांकः– 20-2-2019

सेवा में,

जिलाधिकारी
लखनऊ।

4-13

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत ग्राम–मिरानपुर पिनवट तहसील–सरोजनी नगर जिला–लखनऊ के खसरा संख्या–339 की भूमि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नाम स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिला प्रशासन द्वारा खसरा संख्या–339, ग्राम–मिरानपुर पिनवट तहसील–सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ की 2.225 हे0 भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भवनों के निर्माण हेतु चिन्हित की गयी है। सम्बन्धित राजस्व कर्मचारियों द्वारा कराये गये चिन्हाकन के उपरान्त 752 नग भवनों का ले–आउट तैयार कराया गया था। उक्त परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है, परन्तु उक्त भूमि का स्थानान्तरण उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नाम नहीं हुआ है। प्रश्नगत परियोजना का पंजीकरण रेरा में कराना है। रेरा में पंजीकरण के लिए भूमि का क्लीयर टाइटिल विभाग के नाम होना आवश्यक है।

अतः भारत सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के दृष्टिगत उक्त भूमि के नामान्तरण/हस्तान्तरण की कार्यवाही शीघ्र कराने का कष्ट करें, ताकि भवनों के निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

भवदीय,

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

पृ0सं0:–संख्या एवं दिनांक तदैव। 718

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आवास आयुक्त

597 / 4-13 / 53

अधिशासी अभियंता, नि0 ख0-12, लखनऊ

उक्त के क्रम जिलाधिकारी, लखनऊ से सम्पर्क कर उक्त भूमि के नामान्तरण/हस्तान्तरण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

दि0 21-2-19

अधीक्षण अभियन्ता
वृन्दावन वृत्त, लखनऊ

238